न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 114 / 2023

1 धर्मवीर सिंह उम्र 51 साल पुत्र स्व. बागसिंह जाति राजपूत निवासी लाडून्दा तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।
2 सत्यवीर सिंह उम्र 55 साल पुत्र स्व. बागसिंह जाति राजपूत निवासी लाडून्दा तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ईश्वर सिंह उम्र 72 साल पुत्र स्व. बागसिंह जाति राजपूत निवासी लाडून्दा तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।
2 पुष्पा उम्र 52 साल पत्नी स्व. महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी लाडून्दा तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू। हाल आबाद द्वारकापुरी, तिलक नगर, बीकानेर। राजस्थान।
3 प्रवीण सिंह पुत्र स्व. महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी लाडून्दा तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू। हाल आबाद द्वारकापुरी, तिलक नगर, बीकानेर। राजस्थान।
4 गजेन्द्र सिह पुत्र स्व. महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी लाडून्दा तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू। हाल आबाद द्वारकापुरी, तिलक नगर, बीकानेर। राजस्थान।
5 हेमन्त सिंह पुत्र स्व. महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी लाडून्दा तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू। हाल आबाद द्वारकापुरी, तिलक नगर, बीकानेर। राजस्थान।
6 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबंधक सीरि पिलानी (सत्यवीर सिं का हिस्सा बैंक के रहन है)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2013
उनवानी दावा ईश्वर सिंह बनाम महेन्द्र सिंह वगै.
दावा नम्बर 224/2009 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा

उपस्थिति :

1. श्री भंवर सिंह परमार, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लाखन सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 8.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 224/2009 में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणा, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 425, 459, 486/459 वाके ग्राम लाडून्दा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर समस्त खातेदारान के हस्ताक्षर न होने पर विभाजन प्रस्ताव विधि विरूद्ध तैयार किया गया है। दावा में अपीलांट की तामील नहीं होने के तथ्यों पर भी गौर न कर अपीलान्ट के विरूद्ध विधि विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही का आदेश कर दिया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलान्ट का वाद पत्र में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित कर दिया। आदेश दिनांक 21.06.2013 व डिक्री दिनांक 21.06.2023 के अनुसार रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 ने दिनांक 08.07.2023 को अपीलान्ट को धमकी दी कि उसके पास विवादित खसरा नम्बरान की भूमि का आदेश व डिक्री है जिससे रेवेन्यू रिकार्ड में अब अमलदरामद करवायेगा। इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 10.07.2023 को आदेश व डिक्री की नकल लेने के लिए आवेदन पेश किया तथा नकल दिनांक 11.07.2023 को प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद पेश हैं यदि अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर मानी जाती है तो अपीलान्ट की तरफ से देरी क्षमायाचना बाबत अलग से धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत आवेदन पेश है जिसे आवेदन में अंकित आधार व कारण से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अपीलान्ट को उक्त आदेश व डिक्री का ज्ञान पहली बार दिनांक 08.10.2023 को ज्ञान होने व नकल दिनांक 11.07.2023 को मिलने पर होने के कारण अपील अन्दर मियाद पेश है तथा उक्त आदेश व डिक्री की पालना आज तक नहीं हुयी है जो कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 उक्त आदेश व डिक्री दिनांक 21.06.2013 की पालना 10 साल बाद सक्षम न्यायालय में किसी भी प्रकार की इजराय पेश किये बिना करवाने पर आमादा है इसलिए भी अपील पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा विधि विरूद्ध व विधि से परे जाकर दिनांक 21.06.2013 को प्राप्त आदेश व डिक्री से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रेवेन्यू रिकार्ड में पटवारी हल्का से मिली भगत कर दर्ज करवाने पर आमादा है इसलिए आदेश व डिक्री दिनांक 21.06.2013 की कियान्विति को स्थगित किया जाना न्यायोचित है जिसके लिए अलग से स्थगन आवेदन पेश है जिसे स्वीकार फरमाया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट को दिनांक 11.12.2009 के लिए नोटिस जारी किये गये थे। यह नोटिस स्वयं अपीलांट पर तामील होकर विचारण न्यायालय में प्राप्त हुए जो संलग्न पत्रावली है। सम्यक तामील के उपरांत अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 11.06.2010 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है एवं दिनांक 21.06.2013 को अंतिम डिक्री जारी की गई है। प्रस्तुत अपील अंतिम डिक्री दिनांक 21.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध पृथक से कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। इसी अपील में अनुतोष में प्राथमिक डिक्री को भी खारिज करने की प्रार्थना की गई है। विधि अनुसार प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री की संयुक्त अपील पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपील द्वारा प्रस्तुत अपील 10 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट को दिनांक 11.12.2009 के लिए नोटिस जारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किये गये थे। यह नोटिस स्वयं अपीलांट पर तामील होकर विचारण न्यायालय में प्राप्त हुए जो संलग्न पत्रावली है। सम्यक तामील के उपरांत अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 11.06.2010 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है एवं दिनांक 21.06.2013 को अंतिम डिक्री जारी की गई है। प्रस्तुत अपील अंतिम डिक्री दिनांक 21.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध पृथक से कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। इसी अपील में अनुतोष में प्राथमिक डिक्री को भी खारिज करने की प्रार्थना की गई है। विधि अनुसार प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री की संयुक्त अपील पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपील द्वारा प्रस्तुत अपील 10 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 2.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

2.4

(बलदेवाराम धीजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर